



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2004/माघ 14, 1925

No. 55 ]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2004/MAGHA 14, 1925

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 94(अ).—वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) नियम, 2003 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों के नियम 1, 2, 3, 5, 6 [नियम 6 के उप-नियम (5) के अलावा] और 7 इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे जबकि इन नियमों का नियम 4 और प्रधान नियमों के नियम 6 का उप-नियम (5) जैसा कि इन नियमों के नियम 5 में निहित है, ऐसे प्रकाशन की तारीख से 180 दिन के समाप्ति के बाद प्रवृत्त होंगे।

2. वन (संरक्षण) नियम 2003, (जिसे इसके बाद नियम कहा गया है) में नियम 2 खंड (ख) के लिए निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ख) "समिति" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित वन परामर्शदात्री समिति से है।

3. उक्त नियम के नियम 3 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. वन परामर्शदात्री समिति का गठन :—

(1) वन परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- |  |              |
|--|--------------|
| (i) वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय                                 | —अध्यक्ष     |
| (ii) अपर वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय                            | —सदस्य       |
| (iii) अपर आयुक्त (भू-संरक्षण), कृषि मंत्रालय                               | —सदस्य       |
| (iv) प्रत्येक खनन, सिविल इंजीनियरिंग और विकास आर्थिक विशेषज्ञ (गैर-सरकारी) | —सदस्य       |
| (v) वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय                  | —सदस्य सचिव। |

2. वन महानिदेशक की अनुपस्थिति में अपर वन महानिदेशक इसके अध्यक्ष होंगे।

4. उक्त नियमावली के नियम 3 के बाद निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—  
शक्ति प्राप्त क्षेत्रीय समिति का गठन :—

- (1) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में शक्ति प्राप्त क्षेत्रीय समिति गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—
- |  |             |
|--|-------------|
| (i) क्षेत्रीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मध्य)                               | —अध्यक्ष    |
| (ii) प्रत्येक खनन, सिविल इंजीनियरिंग और विकास आर्थिक विशेषज्ञ (गैर सरकारी) | —सदस्य      |
| (iii) वन संरक्षक अथवा क्षेत्रीय कार्यालय में उप वन संरक्षक                 | —सदस्य सचिव |

(2) गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें इन नियमों के नियम 4 में यथानिर्धारित जैसी ही होंगी।

5. उक्त नियमों के नियम 6 में निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

6. अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों को भिजवाना :—

(1) प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी जो वन भूमि का वनेतर उपयोग के लिए प्रयोग करना चाहती है इन नियमों के साथ संलग्न उपयुक्त फार्म में अपना प्रस्ताव भेजेगी अर्थात् अधिनियम के अंतर्गत पहली बार अनुमोदन लेने के लिए फार्म "क" और पट्टों के नवीकरण के प्रस्ताव "ख" में जहां अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन राज्य सरकार अथवा संघशासित प्रशासन की ओर से संबंधित प्राधिकृत नोडल अधिकारी से पहले ही से ले लिया गया है, प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ अपेक्षित सूचना और दस्तावेज लगे होंगे और जो सभी पहलुओं से पूरे होंगे।

2. प्रयोक्ता एजेंसी नोडल अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त प्राप्ति की रसीद के साथ प्रस्ताव की प्रति संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी अथवा वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय के साथ ही साथ निगरानी सैल, वन संरक्षण डिवीजन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को भेजेगा।

(3) (क) प्रस्ताव के प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार अथवा संघशासित प्रशासन, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्ताव प्राप्ति के 210 दिनों के भीतर, इसमें पारगमन अवधि भी शामिल है, कार्यवाही करेंगे केन्द्रीय सरकार के पास भेज देगी।

(ख) राज्य सरकार का नोडल अधिकारी अथवा जैसा भी मामला हो, संघशासित प्रशासन उप नियम (1) के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद और संतुष्ट होने के बाद कि प्रस्ताव सभी प्रकार से सम्पूर्ण है और अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत पूर्वानुमोदन अपेक्षित है, प्रस्ताव को प्राप्त होने के दस दिन के भीतर संबंधित विभागीय वन अधिकारी को भेजेगा,

बशर्ते कि प्रस्ताव के पूरा होने अथवा दस दिन की अवधि समाप्त होने जो भी पहले हो, प्रस्ताव के पूर्ण होने अथवा अन्यथा का प्रश्न नहीं उठेगा।

(ग) यदि राज्य सरकार अथवा संघशासित प्रशासन का नोडल अधिकारी जैसा भी मामला हो प्रस्ताव को अपूर्ण पाता है तो वो प्रयोक्ता एजेंसी को खंड (ख) के अंतर्गत यथानिर्दिष्ट 10 दिनों की अवधि के भीतर इसे वापिस करेगा और ये अवधि भविष्य के संदर्भ के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(घ) प्रभागीय वन अधिकारी अथवा वन संरक्षक प्रस्ताव के वास्तविक व्यौरों एवं संभाव्यता की जांच करेंगे, मानचित्रों को प्रमाणित करेंगे, स्थल निरीक्षण एवं वृक्षों की गणना करेंगे और निर्धारित प्रपत्र में नोडल अधिकारी को ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अपने निष्कर्ष भेजेगा।

(ङ) (i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नोडल अधिकारी प्रभागीय वन अधिकारी अथवा वन संरक्षक से ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो, को अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव भेजेगा।

(ii) राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो, अपनी सिफारिशों के साथ पूर्ण प्रस्ताव नोडल अधिकारी से प्रस्ताव की प्राप्ति के साठ दिनों की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में क्षेत्रीय कार्यालय अथवा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110 003, जैसा भी मामला हो, को भेजेगा।

बशर्ते कि वनभूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों के सफाई अथवा बनीकरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कुछ भाग सहित सभी प्रस्ताव कार्य योजना अथवा प्रबंधन योजना के रूप में भेजा जाए।

इसके अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकार अथवा जैसा भी मामला हो, संघ शासित प्रशासन क्षेत्रीय कार्यालय अथवा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जैसा भी मामला हो को अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव भेजने के बारे में प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेगा।

(च) यदि संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से खंड (क) के तहत यथा निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के पंद्रह दिनों तक सिफारिशों के साथ प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं तो यह माना जाए कि संबंधित राज्य सरकार अथवा जैसा भी मामला हो, संघ शासित प्रशासन ने प्रस्ताव रद्द कर दिया है और तदनुसार संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेंगे।

बशर्ते कि यदि राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो, बाद में अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय अथवा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जैसा भी मामला हो, को भेजते हैं तो केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि विलम्ब के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्रवाई के साथ ही केन्द्रीय सरकार की सन्तुष्टि के लिए विलम्ब का स्पष्टीकरण न दिया गया हो।

- (4) उपनियम (3) के खण्ड (ड.) में उल्लिखित प्रस्ताव जिसमें खनन एवं अतिक्रमणों से संबंधित प्रस्ताव के अलावा चालीस हैक्टेयर तक वनभूमि वाले प्रस्ताव शामिल हैं संबंधित राज्य सरकार अथवा जैसा भी मामला हो, संघ शासित प्रशासन द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य वन संरक्षक अथवा वन संरक्षक को भेजा जाएगा जो संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से प्रस्ताव की प्राप्ति के पैंतालिस दिनों की अवधि के भीतर (क) पांच हैक्टेयर तक के वनेतर प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे तथा (ख) पांच हैक्टेयर से अधिक और चालीस हैक्टेयर तक के वनेतर प्रस्ताव पर कार्रवाई, जांच तथा उसे अपनी सिफारिशों के साथ, यदि कोई हो पर निर्णय प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को भेजेंगे और राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो, एवं संबंधित प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेंगे।
- (5) शक्ति प्राप्त क्षेत्रीय समिति खनन और अतिक्रमण से संबंधित प्रस्तावों के अलावा 40 हैक्टेयर तक वन भूमि के वनेतर प्रयोग के प्रस्तावों पर राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन जैसी भी स्थिति हो प्रस्तावों के प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर निर्णय लेगी।  
बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि यह आवश्यक समझे वन भूमि के क्षेत्र की सीमा बढ़ा या घटा सकती है।
- (6) उपनियम (3) के खण्ड (ड) (ii) में उल्लिखित प्रस्ताव जिनमें 40 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि शामिल है और शामिल वन भूमि के क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना खनन और अतिक्रमणों से संबंधित सभी प्रस्ताव, संबंधित राज्य सरकार अथवा जैसा भी मामला हो, संघ शासित प्रशासन द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को भेजा जाएगा।
6. उपर्युक्त नियमों के नियम 7 में :—
- (i) उप नियम (1) में शब्द, कोष्ठक और अंकों "नियम 6 का उपनियम (3)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "नियम 6 का उप नियम (6)" प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) उपनियम (1) के बाद निम्नलिखित उप नियम शामिल किया जाए, अर्थात् :—  
“(1क) इन प्रस्तावों पर कार्यवाही की जाए और समिति को प्रस्तुत किए जाएं और समिति की सिफारिशों, राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन जैसी भी स्थिति हो, ऐसे प्रस्तावों को प्राप्त होने के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के पास उसके निर्णय के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।”
- (iii) उप नियम (2) में खंड (ग) और (घ) दोनों स्थानों में “अथवा अन्य प्राधिकरण” शब्दों के स्थान पर “अथवा संघ शासित प्रशासन जैसा भी मामला हो” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।
7. उक्त नियमों में नियम 8 हटा दिया जाए—

[ फा. सं. 5-5/98-एफ सी ]

डॉ. वी. के. बहुगुणा, वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण)

टिप्पणी—मुख्य नियम दिनांक 10 जनवरी, 2003 के संख्या सा.का.नि. 23(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2004

**G.S.R. 94 (E)**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Forest (Conservation) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Forest (Conservation) Amendment Rules, 2004.

(2) Rules 1, 2, 3, 5, 6 [except Sub-rule (5) of rule 6] and 7 of these rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette; whereas, rule 4 of these rules and sub-rule (5) of rule 6 of the principal rules, as contained in rule 5 of these rules, shall come into force on the expiry of 180 days from the date of such publication.

2. In the Forest (Conservation) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

(b) “Committee” means the Forest Advisory Committee constituted under section 3 of the Act.”

3. In the said rules, for rule 3, the following rule shall substituted, namely :—

“3. Composition of the Forest Advisory Committee :—

(1) The Forest Advisory Committee shall be composed of the following members, namely :—

(i) the Director General of Forests, Ministry of Environment and Forests —Chairperson

(ii) the Additional Director General of Forests, Ministry of Environment and Forests —Member